

संख्याक -01
मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठसीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 699/2019

- 1 आकाशदीप पुत्र हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
- 2 अजयपाल सिंह पुत्र हरपाल सिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
- 3 सुखप्रीत कौर पत्नी जलन्धर सिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
- 4 सुखजीत कौर पत्नी हरपाल सिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
- 5 बलजीत कौर पत्नी हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
- 6 अमरजीत कौर पत्नी मंगत सिंह सिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

वादीगण

बनाम

- 1 मंगत सिंह सिंह पुत्र लाल सिंह फौत
- 1/1 हरदीप सिंह पुत्र मंगत सिंह सिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
- 1/2 हरपाल सिंह पुत्र मंगत सिंह सिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
- 1/3 जलन्धर सिंह पुत्र मंगत सिंह सिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
- 1/4 सुखपाल कौर पुत्री मंगत सिंह पत्नी स्वर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
- 2 गुरुद्वारा सिंह सभा अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
- 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रतिवादीगण


डिक्री

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कतई रीबेरू हमारे बहाजरी श्री जगनन्दन सिंह वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्रीमति कैचन सेतिया मुंजाल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4, 2 एवं राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी संख्या 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक 18 पीटीपी के खाता संख्या 59/59 में मंगत सिंह के नाम से दर्ज 9.841 है0 आराजी मे से 9.588 है0 आराजी के वादीगण संख्या 1 व 2 एवं 6 को ब0 हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प.न. 104/135 मु.न. 5 कि.न 6 का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव उक्त खाता से मंगत सिंह पुत्र लाल सिंह का नाम कलमजन किया जाता है। चक 4 के आर डब्लयू के खाता संख्या 88/93 मे मंगत सिंह के नाम से दर्ज 6.987 है0 आराजी मे से वादी संख्या 3 सुखप्रीत कौर को 2.024 है0 वादी संख्या 4



सुखजीत कौर को 2.024 है0 एवं वादी संख्या 5 बलजीत कौर को 2.024 है0 एवं वादी संख्या 6 अमरजीत कौर को 0.915 है0 आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं उक्त आराजी मंगत सिंह पुत्र लाल सिंह का नाम कलमजन किया जाता है। चक 3 के आर डब्ल्यू के खाता संख्या 77/75 में मंगत सिंह पुत्र लालसिंह के नाम दर्ज 3.542 है0 आराजी की वादी संख्या 6 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 मंगत सिंह पुत्र लाल सिंह का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। बसन्त मेरे दस्तख्त एवं न्यायालय की मुद्रा में आज दिनांक. 13.12.19 को जारी की गई।


13.12.19
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर।

